

कार्यालय ग्वालियर विकास प्राधिकरण , ग्वालियर म 0 प्र 0

विज्ञापन क. 7039

दिनांक 31-7-2020

शताब्दीपुरम योजना फेज-2 स्वन्त्र आवास (इयूएलक्स) ” श्री अनिल भाटिया आवासीय परिसर”

//विज्ञापित//

ग्वालियर विकास प्राधिकरण की शताब्दीपुरम योजना फेज-2 अन्तर्गत श्री अनिल भाटिया आवासीय परिसर में पूर्ण निर्मित (Ready To Move) एम.आई.जी. इयूएलक्स के पंजीयन हेतु प्रस्ताव निम्नलिखित तात्तिका अनुसार आमंत्रित किये जाते हैं :-

स.क.	ईकाई का विवरण	क्षेत्रफल वर्ग मी. में (विल्टप एरिया)	भूतल+ प्रथमतल का कार्पेट एरिया वर्ग मी. में	आरक्षण का वर्ग तथा आरक्षित किये गये ईकाईयों की संख्या	नियत मूल्य (प्रावधिक) प्रति इयूएलक्स	रजिस्ट्रीकरण प्रभार	वार्षिक पट्टा भाड़ा
1	कुल संख्या -04 (प्रति ईकाई आकार 6X12 =72)	3	4	5	6	7	8
		98.44	82.34	अनारक्षित -04	27,09,000/-	यथानियम	यथानियम

उपरोक्त सम्पत्तियों के रजिस्ट्रीकरण हेतु प्रपत्र बैंक ऑफ बड़ौदा ग्वालियर की शाखाओं से दिनांक 01-08-2020 राशि य. 1000/- एवं जी.एस.टी. शुल्क रु. 180/- कुल राशि रु. 1180/- का बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक / नगर राशि जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं अथवा प्रपत्र के ऑनलाईन द्वारा प्राधिकरण की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। उपरोक्त रजिस्ट्रीकरण की अन्तिम तारीख दिनांक 31-08-2020 सायं 5.00 बजे तक निर्धारित की गई है। रजिस्ट्रीकरण हेतु निर्बंधन तथा शर्त प्रपत्र में दर्शाई गई है तथा प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी अवलोकन किया जा सकता है।

नोट:-

- 1- पंजीयन राशि डी.डी./ बैंकर्स चैक द्वारा जोकि मुख्य कार्यपालन अधिकार ग्वालियर विकास प्राधिकरण (C.E.O, GDA, Gwalior) के नाम देय होगा, आवेदन के साथ जमा कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन राशि प्रावधिक मूल्य का 10% है।
- 2- उपलब्ध संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर पंजीयन लॉटरी पद्धति से दिनांक 14-09-2020 को प्राधिकरण में किया जावेगा। जिसमें आवेदककर्ता उपस्थित रह सकते हैं।
- 3- आवेदनकर्ता आवेदन से पूर्व स्थल पर अवलोकन कर सकते हैं तथा इयूएलक्स यथास्थिति में आबंटन किया जावेगा। बाद में किसी प्रकार की कोई आपत्ति मान्य व स्वीकार नहीं होगी।
- 4- जीएसटी शुल्क नियमानुसार लागू होगा।
- 5- आवेदनकर्ता पर शासन के व्ययन नियम 2018 एवं समय-समय पर जारी व प्राधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय प्रभावशील होंगे।
- 6- व्ययन नियम 2018 के भाग तीन में नियम 11 अनुसार विकित संपत्ति पूर्ण विकसित अथवा निर्मित होने से एक मुश्त राशि के भुगतान पर आबंटित की जावेगी। यदि आवेदनकर्ता द्वारा एक मुश्त राशि न देते हुये किशतों पर भुगतान के संबंध में आवेदन प्रस्तुत करता है तो उसके आवेदनुसार ऐसी किशतों पर अधिकतम आठ त्रमासिक किशतों में भुगतान किया जावेगा और किशतों पर अधिकतम ब्याज की दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित / ऋण दरों में दो प्रतिशत जोड़कर निर्धारित की जावेगी।

नवालिपर, दिनांक 31.7.2020

क्रमांक/अनिल भाटिया आ.योजना/सम्पदा/2020/7039

प्रतिलिपि:-

- 1- निज सचिव मान. अध्यक्ष महोदय नवा.वि.प्रा. की ओर सूचनार्थ ।
- 2- निज सहायक मुख्य कार्यपालन अधिकारी /अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री 1/2/3 नवा.वि.प्रा. की ओर सूचनार्थ ।
- 3- लेखा अधिकारी नवा.वि.प्रा. की ओर सूचनार्थ ।
- 4- जनसम्पर्क अधिकारी नवा.वि.प्रा. की ओर व्ययन नियम -2018 अनुसार निविदा प्रकाशन एवं उपरोक्त विज्ञापन प्राधिकरण की वेबसाईट पर समस्त अभिलेख के साथ अपलोड करने हेतु
- 5- भूखण्ड शाखा प्रभारी एवं साईट इंचार्ज अनिल भाटिया आवासीय योजना की ओर सूचनार्थ ।
- 6- कार्यालय कमिश्नर नवालिपर /कार्यालय कलेक्टर नवालिपर /कार्यालय कमिश्नर नगर निगम /तहसीलदार, तहसील कार्यालय नवालिपर की ओर भेजकर निवेदन है कि निविदा को नोटिस बोर्ड पर चरप्पा कराने की कृपा करें ।
- 7- कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर चरप्पा हेतु ।
- 8- प्रबंधक बैंक ऑफ बडौदा नवालिपर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
- 9- श्री भारकर राव काले , प्रभारी मानचित्रकार की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जनसम्पर्क अधिकारी से सम्पर्क कर उक्त विज्ञापन प्राधिकरण की वेबसाईट पर अपलोड कराकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करें ।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
नवालिपर विकास प्राधिकरण
नवालिपर

संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज :

1. विधिवत रूप से भरा गया आवेदन पत्र
2. छायाचित्र (फोटोग्राफ)
3. शपथ-पत्र (Affidavit)
4. आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
5. आरक्षण के संबंध में प्रमाण-पत्र, यदि लागू हो

“श्री अनिल भाटिया आवसीय परिसर शताब्दीपुरम फेज-2 में लॉटरी पद्धति द्वारा एम.आई.जी. भवन(इयूप्लेक्स) हेतु आवेदन प्रपत्र ”

विज्ञापन क्रमांक 7039

दिनांक 31/7/2020

आवेदन प्रपत्र क्रमांक

मूल्य 1000 + जीएसटी शुल्क रु. 180/-

अहस्तान्तरणीय (Non Transferable).

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
ग्वालियर विकास प्राधिकरण
ग्वालियर (मध्य प्रदेश)

आवेदन क्रमांक
श्रेणी

आवेदक का नाम

आवेदक का
पासपोर्ट आकार
का छाया चित्र
यहां चिपकाया
जाए

महोदय,

निवेदन है कि मैं विज्ञापन क्रमांक ----- दिनांक ----- के आधार पर मुझे पट्टे पर निम्न इयूलेक्स आवंटित करने का कष्ट करें।
अपेक्षित जानकारी निम्नानुसार भर कर प्रस्तुत की जा रही है।

1. आवेदक का नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. आवेदक की आयु :
4. पूरा पता : दूरभाष / मोबाईल (कार्यालय)
(निवास)
5. कुल मासिक आय रूपये :
6. यदि नियोजित हो, तो नियोजक का नाम :
7. सेवा की अवधि :
8. यदि निजी व्यवसाय :
9. मैं हैं, तो उसका ब्यौरा दूरभाष क्र. निवास दूरभाष (कार्यालय) मो.नं.
निबंधन तथा शर्तों के अनुसार :
9. शपथ पत्र संलग्न है।
10. आवेदन-प्रपत्र डाउनलोड करने की दशा में बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक क्र. दिनांक बैंक का नाम
राशि
11. मैं आश्वासन देता/देती हूँ कि यदि मेरा आवेदन प्रपत्र स्वीकार कर लिया जाता है तो मैं ड्यूलेक्स की बकाया अधिमूल्य (प्रीमियम) का भुगतान निर्धारित समय पर जमा कर दूंगा/दूंगी तथा वार्षिक पट्टा भाड़ा भुगतान तिथि को नियमित रूप से समय पर जमा कर दूंगा/दूंगी।
12. मैं आश्वासन देता/देती हूँ कि मैं शासन तथा प्राधिकरण द्वारा, समय-समय पर बनाये गये नियमों/विनियमों का पालन करूंगा/करूंगी।
13. मैंने प्राधिकरण के भूखण्ड/इकाई के आवंटन से संबंधित निबंधन, शर्तों तथा नियमों को समझ लिया है तथा ये मुझे स्वीकार है।
14. यदि आवेदन प्रपत्र में प्रस्तुत की गई कोई जानकारी त्रुटिपूर्ण पाई जाती है तो प्राधिकरण को मेरे आवेदन प्रपत्र को निरस्त करने तथा जमा की गई पंजीयन राशि का समपहृत करने का पूर्ण अधिकार होगा।

अनुलग्नक :

1. आवेदन प्रपत्र डाउनलोड करने की दशा में (जी.एस.टी. शुल्क 18 % सहित) रु. 1180 / -- का ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक क.
दिनांक बैंक का नाम
2. पंजीयन हेतु ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक क्रमांक तारीख रूपये

3. निबंधन तथा शर्तों की हस्ताक्षरित प्रति
4. शपथ-पत्र
5. आय प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)
6. सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि (यदि आवश्यक हो)
(उपरोक्त में जो लागू नहीं हो उसे काट दिया जाये।)

.....
(आवेदक के हस्ताक्षर)

कार्यालय ग्वालियर विकास प्राधिकरण, ग्वालियर

नियत दर पर सम्पत्तियों के व्ययन संबंधी निबंधन तथा शर्तें (Terms and Conditions for Disposal of Properties on Fixed Rate)

1. सामान्य शर्तें (General Terms)

1. व्ययन के लिए उपलब्ध सम्पत्तियों (परिसम्पत्तियों) से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर भूखण्डों/इकाईयों को लाटरी के आह्वान अनुसार आवंटित किया जाएगा।
2. सम्पत्ति के आवंटन हेतु आवेदक को अपना आवेदन प्ररूप विहित प्ररूप में प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन प्ररूप विज्ञापन में उल्लेखित समय सीमा के भीतर ही प्रस्तुत किया जा सकेगा।
3. विज्ञापन के अधीन ड्यूप्लेक्स के कमांक का आवंटन लाटरी द्वारा संपन्न किया जाएगा।
4. एक परिवार (जिसमें पति/पत्नी/अवधरक बच्चे हों) से केवल एक आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि पति तथा पत्नी में से केवल एक को ही आवेदन करने की पात्रता होगी। इस निबंधन तथा शर्त के किसी उल्लंघन किये जाने पर उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त आवेदनों को निरस्त किया जा सकेगा।
5. सम्पत्ति के लिए आवेदक को यह शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके/उनके द्वारा प्राधिकरण की किसी योजना के अंतर्गत इससे पूर्व नियत दर पर कोई ड्यूप्लेक्स की प्राप्ति नहीं की गई है।
6. यदि आवेदक के पते में कोई परिवर्तन होता हो तो उस दशा में उसे इस बारे में प्राधिकरण को लिखित में सूचना उपलब्ध करानी होगी।
7. यदि कोई अपना आवेदन प्रस्तुत करने के बाद आवेदन नियत अन्तिम तिथि से पूर्व अपना आवेदन वापस ले लेता है तो आवेदक द्वारा जमा की गई राशि में से दस प्रतिशत राशि की कटौती करने के पश्चात आवेदक को शेष राशि लाटरी दी जाएगी। लाटरी का आह्वान किये जाने की प्रक्रिया के बाद सम्पत्ति का आवंटन हो जाने पर, आवेदन के साथ मांगी गई जमा रकम पुनः वापस नहीं की जाएगी तथा जमा की गई राशि को समपट्ट कर लिया जाएगा तथा इस संबंध में किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।
8. प्राधिकरण को आवेदन स्वीकार अथवा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
9. आवेदनकर्ता आवेदन से पूर्व स्थल पर अवलोकन कर सकते हैं तथा ड्यूप्लेक्स यथास्थिति में आवंटन किया जावेगा। बाद में कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

दो भुगतान की शर्तें (Payment Terms)

1. सफल आवेदक के पंजीयन की स्वीकृति के बाद बकाया किशतों के मांग पत्र में उल्लेखित समय –सीमा में निर्धारित किशतों की राशि जमा करानी होगी।
2. आवेदक द्वारा कुल अधिमूल्य(प्रीमियम) की राशि तथा एक वर्ष का लीजरेट जमा करने के पश्चात् ही उसे आवंटन पत्र (Allotment Letter) जारी किया जाएगा।
3. जहां सफल आवेदनकर्ता विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर उपरोक्तानुसार संदाय करने में असफल रहता है वहां प्राधिकरण आवंटन को रद्द तथा पंजीयन राशि रकम को समपट्ट कर सकेगा। जब तक कि प्राधिकरण के विनियमों के अनुसार लिखित रूप में उक्त समय सीमा में वृद्धि नहीं की गई हो।
4. पट्टाधारी (lessee) अथवा हस्तांतरिती (Transferee) सरकार, नगर पालिक अधिकरण अथवा अन्य किसी कानूनी निकाय द्वारा उदग्रहीत समस्त करों/शुल्कों/अभिकरों/प्रभारों के प्राधिकरण द्वारा सम्पत्ति का अधिपत्य सौंपे जाने संबंधी अधिसूचित की गई तारीख से अधिपत्य को विचार में लिए बिना भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा। भले ही अधिपत्य ग्रहण किया गया हो अथवा नहीं।
5. आवंटिती (Allottee)/हस्तांतरिती (Transferee) द्वारा कुल अधिमूल्य (प्रीमियम) रकम के अवशेष ----- प्रतिशत भाग का भुगतान त्रैमासिक, मासिक बराबर किस्तों में 1.5 वर्षों की समयावधि के भीतर सात प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की दर से किया जाएगा।

6. किसी किस्त के भुगतान में विलम्ब होने पर आवंटिती को 5 प्रतिशत की दर से द्राण्डिक ब्याज का भुगतान करना होगा, जो उपरोक्त बिन्दु 5 में विनिर्दिष्ट किये गये 7 प्रतिशत की ब्याज दर के अतिरिक्त होगा। यदि किसी किस्त के भुगतान में की गई चूक 6 माह से अधिक की अवधि हेतु जारी रहती हो, तो प्राधिकरण को आवंटन प्रतिसह्रित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। तथापि, अदायगी अनुसूची के प्रत्येक उल्लंघन पर प्राधिकरण निरस्तीकरण के बदले में रु. 10,000/- का अर्थदण्ड वसूल किये जा रहे ब्याज तथा द्राण्डिक ब्याज भुगतान के अतिरिक्त अधिशेषित कर सकेगा।
7. यदि सम्पत्ति का क्षेत्रफल, विज्ञापन में सम्पत्ति के लिए अधिसूचित किये गये क्षेत्रफल से कम पाया जाता है तो प्राधिकरण द्वारा अधिमूल्य (प्रीमियम) रकम तथा वार्षिक पट्टा भाड़ा आनुपातिक रूप से कम किया जाएगा।
8. सम्पत्ति का आवंटन किये जाने पर यदि प्राधिकरण सम्पत्ति का अधिपत्य किसी भी कारण से चाहे जो भी हो, आवंटिती को प्रदान करने में असमर्थ रहता है तो प्राधिकरण द्वारा जमा की रकम की वापसी सात प्रतिशत की ब्याज दर के साथ की जाएगी।

तीन- सम्पत्ति को पट्टे पर प्रदान करने संबंधी निबंधन (Terms for Lease Property)

1. सम्पत्ति पट्टा आधार पर (Lease Basis) 30 वर्षों की अवधि के लिये प्रदान किया जाएगा (जब तक अन्यथा सरकारी सम्पत्तियों की दशा में ऐसी सम्पत्तियों के लिये जो प्राधिकरण के अंतर्गत निहित हो या जिनका प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा हो तथा जो विशिष्ट रूप से सामान्य/विशेष स्वीकृति के अनुसार अथवा प्राधिकरण की किसी सम्पत्ति के बारे में राज्य सरकार के निर्देशानुसार नियंत्रित की जा रही हैं) जिनकी कालावधियों का विस्तार 30 वर्षों की दो अतिरिक्त अवधियों के लिए किया जा सकेगा, जिसके अनुसार प्राधिकरण को वार्षिक पट्टा भाड़ा प्रत्येक नवीनीकरण के अंतर्गत पूर्व में स्वीकृत वार्षिक पट्टा भाड़ा के अधिकतम 50 प्रतिशत तक वृद्धि करने का अधिकार होगा।
2. सम्पत्ति का वार्षिक पट्टा भाड़ा प्रभारित अधिमूल्य (प्रीमियम) राशि का 0.1 प्रतिशत होगी प्रभारित किया जाएगा।
3. सम्पत्ति के लिए निर्धारित वार्षिक पट्टा भाड़े का भुगतान प्रति वर्ष अग्रिम रूप से देय होगा तथा प्रति वर्ष एक जून को या इससे पूर्व किया जाएगा। प्रथम वार्षिक पट्टा भाड़ा उस वित्तीय वर्ष, जिसके अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा अधिपत्य सौंपे जाने की तिथि अधिसूचित की गई हो, एक जून से देय होगा।
4. जहां पट्टाधारी द्वारा देय वार्षिक पट्टा भाड़ा रकम का भुगतान नियत तारीख से तीन माह से अधिक की अवधि हेतु लम्बित रहता है, वहां प्राधिकरण द्वारा वार्षिक पट्टा भाड़ा रकम की वसूली की प्रक्रिया भू राजस्व की बकाया रकम (Arrears of Land Revenue) के रूप में प्रारंभ की जा सकेगी।
5. सम्पत्ति का अधिपत्य "जैसा है जहां है" के आधार पर सौंपा जाएगा (जब तक अन्यथा उपबन्धित न किया हो) तथा प्राधिकरण, भूमि/भूखण्ड पर किसी भराई (filling)/समतलन (levelling) के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
6. आवंटिती को सम्पत्ति का अधिपत्य, अधिमूल्य (प्रीमियम) रकम तथा प्रथम वर्ष की अग्रिम वार्षिक पट्टा भाड़ा राशि का पूर्ण भुगतान के बाद ही सौंपा जाएगा।
7. अधिमूल्य (प्रीमियम) रकम तथा प्रथम वर्ष हेतु अग्रिम पट्टा भाड़ा की संपूर्ण राशि जमा किये जाने के पश्चात् प्राधिकरण के सम्मदा अधिकारी (Estimate Officer) द्वारा सम्पत्ति के वास्तविक अधिपत्य प्रदान करने के प्रयोजन हेतु तिथि तथा समय की अधिसूचना जारी की जाएगी तथा सम्पत्ति का पट्टा उक्त अधिसूचित तिथि से तथ्य पर विचार किए बिना प्रारंभ हो जाएगा चाहे आवंटिती द्वारा सम्पत्ति का अधिग्रहण किया गया हो अथवा नहीं।
8. अधिमूल्य (प्रीमियम) रकम तथा प्रथम वर्ष हेतु अग्रिम पट्टा भाड़ा की संपूर्ण राशि जमा किये जाने के पश्चात् प्राधिकरण के कार्यालय द्वारा जारी किये गये निदर्शन पत्र के अनुसार आवंटिती द्वारा पट्टा विलेख (Lease Deed)/दस्तावेज तैयार किया जायेगा तथा इन्हें प्राधिकरण के सम्मदा अधिकारी के समक्ष उसके हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। प्राधिकरण के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर की तारीख से तीन माह के भीतर पट्टाधारी (Lessee) को अनिवार्यतः रजिस्ट्रार (Registrar) के कार्यालय से पट्टे को रजिस्ट्रीकृत कराना होगा। पट्टाधारी को पट्टा अभिलेख के रजिस्ट्रीकरण से संबंध समस्त व्ययों का वहन करने हेतु उत्तरदायी होगा। पट्टाधारी को पट्टे के रजिस्ट्रीकरण से तीस दिन के भीतर पट्टा विलेख की प्रमाणित प्रति भी प्राधिकरण के कार्यालय में जमा करनी होगी।

9. पट्टाधारक, पट्टे की शर्तों के अधीन रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति को सम्पत्ति का अंतरण प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् कर सकेगा और उसे प्राधिकरण द्वारा अवधारित अंतरण शुल्क (transfer) की राशि जमा करना होगी। जो अंतरण हेतु प्रस्तुत किये गये आवेदन तिथि को प्रचलित प्रयोज्य मार्गदर्शन दर के 0.5 प्रतिशत से अधिक न होगी। जहां अंतरण उत्तराधिकार के नैसर्गिक न्यायगमन (natural devolution of heirship) के अनुक्रम में चाहा गया हो, वहां कोई अंतरण शुल्क देय नहीं होगा।

10. पट्टाधारी, पट्टा विलेख के पंजीयन उपरंत प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त कर भूखण्ड पर निर्माण कार्य के प्रयोजन हेतु ऋण की प्राप्ति हेतु ईकाई को बंधक (mortgage) रखने का अधिकार होगा।

11. पट्टाधारी जो सम्पत्ति के पुनर्मापन (re-measurement) का इच्छुक है उसे प्राधिकरण को अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा।

12. ऐसे प्रकरण में जहां पट्टाधारी विलेख की किसी शर्त का उल्लंघन करता हो, वहां प्राधिकरण द्वारा सम्पत्ति के पट्टे को रद्द किया जा सकेगा। पट्टे के रद्दीकरण के पश्चात् प्राधिकरण को सम्पत्ति में पुनः प्रवेश देने का अधिकार सुरक्षित होगा।

चार- आवंटित सम्पत्तियों के लिए विकास भवन निर्माण (Development and Building Regulations for Allotted Properties)

1. आवंटित की गई सम्पत्ति के बारे में इसके अभिहित उपयोग में किसी परिवर्तन को अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा। कोई भी निर्माण कार्य जो स्वीकृत नक्शे के विपरीत हो, को अनाधिकृत कार्य माना जाएगा तथा ऐसे कृत्य को पट्टे की शर्तों का उल्लंघन माना जाकर, तदनुसार संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की पहल की जाएगी।

2. यदि किसी प्रकरण में सम्पत्ति का उपयोग उसके अभिहित उपयोग से अन्यथा किया जाता है और/या कोई निर्माण कार्य स्वीकृत नक्शों का उल्लंघन कर अथवा स्वीकृत नक्शों के बगैर ही सम्पन्न किया जाता है तो प्राधिकरण को आवंटन/पट्टा रद्द करने का अधिकार होगा। ऐसी परिस्थितियों में पट्टाधारी को किसी कानूनी अथवा कोई सरकारी अभिकरण द्वारा उस पर अधिरोपित किसी अर्थदण्ड का भुगतान भी करना होगा।

3. पट्टाधारी सेवा संबंधी आवश्यक अनुमतियों को प्राप्त करना तथा संबंधित शुल्कों/प्रभारों के भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा, जो नगरपालिकानिगम/नगरपालिका परिषद् अथवा सेवाप्रदाय हेतु अन्य किसी संस्था के नियमों तथा विनियमों के अनुसार जल प्रदाय संयोजन, मलजल निकासी संयोजन तक ही सीमित न होगा। ऐसे प्रकरण में जहां आवंटित सम्पत्ति ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां मलजल निकासी सेवा उपलब्ध नहीं है, वहां पट्टाधारी नगर पालिका निगम/नगर पालिका परिषद् के नियमों तथा विनियमों के अनुसार मलजल की सुरक्षित निकासी के लिये आवश्यक व्यवस्था हेतु उत्तरदायी होगा।

4. पट्टाधारी विद्युत संयोजन की प्राप्ति तथा इससे संबंधित समस्त प्रभारों के भुगतान के लिये उत्तरदायी होगा।

पांच- आवंटन का अन्तरण (Transfer of Allotment)

संपत्ति के आवंटन का अंतरण सम्पत्ति आवंटन तारीख से छह माह की अवधि के समाप्त होने के पश्चात् ही किया जा सकता है आरक्षित श्रेणी के अधीन आवंटित की गई सम्पत्तियों के बारे में अन्तरण, केवल ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को अनुज्ञेय किया जाएगा, जो आरक्षण की उसी श्रेणी के अंतर्गत इसे धारित करने की पात्रता रखता हो जिस हेतु सम्पत्ति को पूर्व में आवंटित किया गया हो। अन्तरण शुल्क का भुगतान अधिमूल्य (प्रीमियम) अथवा अन्तरण तारीख को प्रचलित लागू कलेक्टर गाइड लाइन दर (applicable guideline rate) की एक प्रतिशत की दर से इनमें से जो भी अधिक हो, भुगतान योग्य होगा।

छह- अन्य निबंधन तथा शर्तें (other Terms and Conditions)

1. यदि बोली से संबंधित निबंधन तथा शर्तों में तथा "मध्य प्रदेश विकास प्राधिकरणों की सम्पत्तियों का प्रबंधन तथा व्ययन नियम 2013" के अथवा राज्य सरकार के अन्य किन्हीं नियमों/कानूनी उपबन्धों में विसंगति उद्भूत होती है तो अंतिम उल्लेखित उपबंध अभिभावी रहेंगे और पट्टाधारी पर बाध्यकारी होंगे।
2. यदि योजना के अधीन कोई विशेष निबंधन तथा शर्तों का विशदीकरण तत्संबंधी विज्ञापन में किया गया हो, वहां बोली प्रस्तुतकर्ता/ सम्पत्ति के प्राप्तिकर्ता के लिये इन शर्तों के अलावा उपरोक्त उल्लिखित शर्तें भी बाध्यकारी होंगी।
3. निबंधन तथा शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर यदि विवाद उद्भूत होता है तो विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम होगा।
4. जहां कहीं शब्द "प्राधिकरण (Authority)" का उपयोग किया गया हो वहां इसके प्रतिनिधि, नाम निर्देशिती, उत्तराधिकारी तथा अनुज्ञात समनुदेशिती (permitted assignees) भी सम्मिलित होंगे तथा इसी प्रकार जहां शब्द "पट्टाधारी (Lessee) का उपयोग किया गया हो, वहां इसमें उसके उत्तराधिकारी का नाम भी सम्मिलित होना माना जाएगा।
5. पंजीयन राशि नियत मूल्य का 10 प्रतिशत डीडी/बैंकर्स चैक द्वारा जोकि मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्वालियर विकास प्राधिकरण के नाम देय होगा। आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।

दिनांक:

(आवेदक के हस्ताक्षर)

मोबा.क.

लागू विधि के अनुसार मूल्य के गैर न्यायिक मुद्रांकों पर सम्यक रूप से नोटरी प्रमाणीकरण के पश्चात् प्रस्तुत किया जाए

शपथ-पत्र (Affidavit)

(प्राधिकरण की सम्पत्तियों (आस्तियों)(Assets) के लिए विहित)

1. मैं, अभिसाक्षी शपथ पर निम्नानुसार कथन करता/करती हूँ कि :-

मेरा नाम :

पिता/पति का नाम :

आयु :

मासिक/वार्षिक आय :

2. यहकि, आवेदन के अंतर्गत दी गई समस्त जानकारी सही है तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

3. यहकि, मैंने निबंधन एवं शर्तें जिसमें नियत दर आधार पर प्राधिकरण की सम्पत्ति के व्ययन के लिए नियम सम्मिलित हैं, भली भांति समझ लिया है और जो कि मुझे पूर्णतः स्वीकार है।

4. यहकि, आवेदन के अंतर्गत कोई जानकारी गलत पाई जाती है, तो प्राधिकरण को मेरा आवेदन रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

5. यहकि, प्राधिकरण द्वारा मुझे नियत दर पर अथवा किसी विशेष योजना में, किसी आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत जिसके लिये यह आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है, कोई सम्पत्ति पूर्व में आवंटित नहीं की गई है।

6. यहकि, यह शपथ पत्र मेरे द्वारा ग्वालियर विकास प्राधिकरण की श्री अनिल भाटिया आवासीय परिसर में नियत दर के अनुसार ड्यूल्डेक्स क्रय हेतु इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन के अधीन रहते हुए, प्रस्तुत किया जा रहा है।

दिनांक :

अभिसाक्षी

:: सत्यापन ::

मैं पिता/पति श्री सत्यापित

करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई उपरोक्त सूचना व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत्य है तथा इसमें कोई भी जानकारी न तो असत्य है और न इसे छिपाया गया है जो आज दिनांक को सत्यापित किया गया।

अभिसाक्षी

1. कोई भी विषय वस्तु जो लागू न हो तथा अनावश्यक हो, उसे शपथ-पत्र में शामिल न करें।
2. किसी अन्य प्रपत्र में प्रस्तुत किया गया शपथ-पत्र मान्य नहीं होगा।